छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 11 फरवरी, 2009

(माघ - 22, शक संवत् 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 18 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 15 एवं 16 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 1 पर शासन की ओर से मूल प्रश्न के अनुरुप जानकारी नहीं आने पर माननीय अध्यक्ष द्वारा इसे आगामी तिथि के लिये स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 3, 8, 10 एवं 14 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री रामपुकार सिंह, श्री धर्मजीत सिंह, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी एवं श्री रामपुकार सिंह अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 18 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने प्रदेश में मादक द्रव्यों की तस्करी होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव द्वारा सूचित किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री की ओर से अनुरोध किया गया है कि आज की व्यस्तता के कारण इसे आगामी दिवस हेतु रखा जाए।

सूचना देने वाले सदस्य श्री मोहम्मद अकबर की सहमति पर माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुमति दी गई।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने जिला-रायपुर के लवन से जोंधरा होकर शिवरीनारायण मार्ग में लीलागर नदी पर निर्माणाधीन सेतु संबंधी,

(2) श्री अमरजीत भगत, सदस्य ने जिला-सरगुजा में गुणवत्ताविहीन सड़क निर्माण कर शासकीय राशि का दुरुपयोग किये जाने,

(3) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने अकलतरा व बलौदा तहसील में रजिस्ट्री आफिस चालू किये जाने,

(4) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने विकासखंड पंडरिया में ग्राम कड़मा में किसानों को पंप कनेक्शन न दिये जाने, तथा

(5) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट क्षेत्रांतर्गत पेयजल की समस्या होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

4. वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

श्री अमरजीत भगत, डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री रविन्द्र चौबे (नेता प्रतिपक्ष)।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2009)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2009) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 5 इस विधेयक के अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

6. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश में हाथियों का आतंक व्याप्त होने से उत्पन्न स्थिति

श्री रविशंकर त्रिपाठी, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की । (जारी)

(सभापति महोदय (डॉ.शक्राजीत नायक) पीठासीन हुए ।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे(नेता प्रतिपक्ष) फूलचंद सिंह,

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए ।)

श्री अमरजीत भगत, श्रीमती रेणुका सिंह, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्री दीपक कुमार पटेल, डॉ.हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री जगेश्वर राम भगत, रामपुकार सिंह, रामदेव राम, सौरभ सिंह, दूजराम बौद्ध।

श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) प्रदेश में भूमिगत जलस्तर घटने से पेयजल की कमी होने से उत्पन्न स्थिति

श्री रविन्द्र चौबे (नेता प्रतिपक्ष) ने चर्चा प्रारंभ की ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

सर्वश्री दीपक पटेल, लेखराम साहू, देवजी भाई पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक, डॉ. हरिदास भारद्वाज, अग्नि चंद्राकर, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री परेश बागबाहरा।

श्री केदार कश्यप, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

रात्रि 7.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 12 फरवरी, 2009 (माघ 23, शक संवत् 1930) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा